मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२०

मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (सात) में, उपखण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) की धारा ४५-आई (च) में यथापरिभाषित किसी "गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी" द्वारा अग्रिम दिया गया कोई उधार,".

धारा २-ख का अन्त:स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

ब्याज की सीमा.

"२-ख. कोई भी साहूकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा.".

धारा ११-च च का पुनर्क्रमांकित किया जाना तथा नवीन धारा ११-चच का अन्त:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ११-च च को धारा ११-चचच के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा ११-चचच के पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा दिया गया उधार कतिपय परिस्थितियों में वसूलनीय नहीं होगा.

"११-चच. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा ११-ख के अधीन अरजिस्ट्रीकृत किसी साहूकार द्वारा, किसी व्यक्ति को अग्रिम दिया गया कोई उधार विधि के किसी न्यायालय में तब तक वसूलनीय नहीं होगा जब तक कि वाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण न रखता हो और न्यायालय का समाधान न हो गया हो कि अग्रिम दिए गए उधार धारा २-ख के अनुसरण में थे.".

धारा ११-चचच का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा ११-चचच में, पार्श्व शीर्ष में और उपबंध में, शब्द, अंक तथा अक्षर, "धारा २-क", जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २-क, धारा २-ख" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुभव किया गया है कि कुछ अरजिस्ट्रीकृत साहूकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में धन उधार देने का व्यवसाय चला रहे हैं तथा किसानों एवं गरीब व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं, अतएव, साहूकारों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर की उच्चतर सीमा नियत किए जाने का विनिश्चय किया गया है और उसका उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा. यह भी उपबंधित किया गया है कि अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा अग्रिम दिया गया समस्त उधार कतिपय परिस्थितियों में वसूलनीय नहीं होगा. अतएव, मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ सितम्बर २०२०

गोविन्द सिंह राजपूत
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-३ द्वारा साहूकार को ब्याज की दर की सीमा विनिश्चित किए जाने के संबंध में विधायनी शक्ति का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) से उद्धरण.

धारा २ (सात) उपखण्ड (घ) किसी बैंक, सहकारी सोसाइटी या कम्पनी, जिनके खाते कम्पनी अधिनियम, १९१३ (क्रमांक १९१३ का ७) के तहत् प्रमाणित संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, के द्वारा अधिदाय किया गया कोई ऋण.

* * * * *

धारा २-क. साहूकार द्वारा देनदार को ऋण इत्यादि के ब्योरे समाविष्ट करने वाले वाउचर का परिदान करना. (१) प्रत्येक साहूकार किसी देनदार को कोई ऋण अधिदाय करने पर तत्क्षण उस देनदार को उस ऋण के संव्यवहार के सबूत में उसके हस्ताक्षरों के अधीन एक बाउचर परिदत्त करेगा.

२. ऐसे वाउचर में समाविष्ट होगा,—

(क) अधिदाय किये गये ऋण की राशि या मात्रा, यथास्थिति हो;

(ख) गिरवी या बंधक रखी गई, यथास्थिति हो, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के पर्याप्त विवरण ताकि सम्पत्ति की पहचान सुकर हो सके;

(ग) अधिदाय किये गये ऋण पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर;

(घ) जहां कोई जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी जा रही हो, वहां देनदार द्वारा ऐसा जंगम सम्पत्ति के परिदान को अभिस्वीकृति और उस साहूकार द्वारा उसकी रसीद ; और

(ङ) साहूकार, उपधारा (१) के तहत् उस देनदार को परिदत्त वाउचर की एक प्रति, ऐसे समय यथा विहित किया जाए, संबंधित उपखण्ड अधिकारी को अग्रेषित भी करेगा.

* * * * *

धारा ११-च. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना कारबार करने का वर्जन.—कोई भी व्यक्ति, किसी क्षेत्र में साहूकारी का कराबार नहीं करेगा, जब वह उस क्षेत्र के संबंध में विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र करता हो, किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में साहूकारी का कारबार नहीं करेगा या ग्राम सभा के किसी सदस्य को धन उधार नहीं देगा यदि इसं आशय का संकल्प ऐसी ग्राम पंचायत की सभा द्वारा सम्यक् रूप से पारित कर दिया गया हो.

(२) जो कोई अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या यदि उस उपधारा के अधीन पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(३) जो कोई किसी अनुसूचित क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

धारा ११-चच. अधिनियम की धारा २-क और धारा ३(१) (ग) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जो कोई धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) या धारा २-क के उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो दो हजार रुपये तक विस्तारित किया जा सकेगा या यदि वह उस धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) या धारा-२-क, यथास्थिति हो, के तहत अपराह्न से पूर्व में दोषसिद्ध किया जा चुका है तो उसे जुमाने से दण्डित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक विस्तारित हो सकेगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.